



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1943 (श10)
(सं0 पटना 228) पटना, बुधवार, 31 मार्च 2021

सं० 3ए-2-वे०पु०-03/2020-2331/वि०
वित्त विभाग

संकल्प
25 मार्च 2021

विषय :- बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतनस्तर की स्वीकृति के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-872, दिनांक-10/12/2018 के द्वारा "बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली-2018" अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली के द्वारा बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग के अन्तर्गत मूलकोटि सहित तीन स्तरीय पदसोपान विहित किया गया है।

2. दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से उक्त संवर्ग के मूलकोटीय पद शोध पदाधिकारी (गजेटियर) के लिए वेतनस्तर-7 स्वीकृत है। पूर्व से उक्त संवर्ग के प्रोन्नति सोपान विहित नहीं रहने के कारण प्रोन्नति सोपानों का पुनरीक्षित वेतनस्तर स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

3. बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग नियमावली-2018 अधिसूचित हो जाने के फलस्वरूप उक्त संवर्ग के अन्तर्गत प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतनस्तर की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. सम्यक् विचारोपरान्त बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए निम्नरूपेण पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र०सं०	पदनाम	कोटि	वेतनस्तर
1.	उपराज्य सम्पादक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	Level-9
2.	संयुक्त राज्य सम्पादक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	Level-11

5. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प सं०-3590, दिनांक-24/05/2017 के आलोक में किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 228-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>